








कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>साधने, यह भी जापेचित नहीं है, पञ्जाब के गवर्नर हितों के प्रतिमानाधिकार के अन्तर्गत ही पञ्जाब के रक्षा करता है, जो कि हुए पञ्जाब को रक्षा कराना विधि के माध्यमों को उद्घाटन के माध्यमों द्वारा विधि 09 वर्ष 0 माह के विलम्ब के समय कि जॉन के विधि कम्पली पट लेने को कि सहायक कारण नहीं है, जिनके अन्तर्गत विलम्ब के समय कि जा जा सके। अपील के दिनांक 20-1-2010 को अफिदौवी/अफिदौवी में खारीत कि जा जा है। अपीलकर्ता को रूप में भी एक जिम्मेदारी थी कि वे 09 वर्ष 0 माह में अपील को जानकारी के समय में कोई सामूहिक जानकारी हासिल करके 09 वर्ष 09 माह के अन्तर्गत विलम्ब के समय को कि विधि यह फलन करना कि अपीलकर्ता को जानकारी नहीं दी जाई, न्यायसंगत नहीं है। अतः अतः विवेकानुसार, प्रार्थना - परा रोक रोक्षण निरस्त कि जा जाता है। अतः दि. 20-1-2010 यथावत रखी जाती है। कम्पली फिलम शुक्रा शेकर दर्ज नम्बर से एक ही विवरण से इपलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>ज.के. कलक्टर (वितीय)</b>  <b>कोटा</b> </p>	